तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/4/22	पत्रावली पेश। वादीगण की ओर से प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 233/235, 237 R.T. Act 1955 का पेश किया, जो ज्ञा० मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र दिनांक - 21/04/2022 को पेश हो।
21/4/2022	पत्रावली पेश/ पीठासीन अधिकारी R.T.O. मीटिंग म व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आबिक कार्यवाही दिनांक ..... के पेश हो। 26/5/22
26/5/22	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14-7-22 को पेश हो।**
14/7/22	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 03/8/22 को पेश हो।**
3/8/22	पत्रावली पेश। वकील वादी अनु०हुँ। वादीगण अनु०हुँ। वकील प्रतिवादीगण उप०हुँ। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया की वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तेवेजों की प्रतियाँ उन्हे उपलब्ध करवाने हेतु

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादीगण / वकील वादीगण को दिनांक 8/7/2015 से आदेशित किया हुआ है। तब से आदिनांक तक दस्तावेजों की प्रतियां प्रतिवादीगण को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस बाबत वादीगण को न्यायालय द्वारा दिनांक - 13/8/2021, 22/9/2021, 4/2/2022 को भी पुनः दस्तावेजों की प्रतियां प्रतिवादीगण को उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिया हुआ है। वादीगण / वकील वादीगण द्वारा न्यायालय आदेश की पालना पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी नहीं की गई है, जो न्यायालय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः वाद वादीगण अदम तकमील में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)